न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 01/2025 तारीख रजू:— 28.04.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रामलाल पुत्र महाराज सिंह, उम्र—50 वर्ष, जाति जाट, निवासी चिनायटा, तहसील सूरौठ, जिला—करौली (राज०) ———————————— अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान
2. सरपंच, ग्राम पंचायत चिनायटा, पंचायत समिति हिण्डौन सिटी जिला करौली—रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामांतकरण नम्बरी 2 तारीखी 06.07.1990 ग्राम पंचायत चिनायटा, तहसील सूरौठ, जिला—करौली (राज०)

उपस्थित :—1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट अपीलान्ट

निर्णय

दिंनाक :— 29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरुद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खाता संख्या 160 के खसरा नम्बर 565 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 566 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 569रकवा 08 ऐयर, खसरा नम्बर 570 रकवा 03 ऐयर, कुल किता 04 कुल रकवा 43 ऐयर स्थित ग्राम चिनायटा, तहसील सूरौठ है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खाता संख्या 158 के खसरा नम्बर 597 रकवा 06 ऐयर, 598 रकवा 07 ऐयर, 737 रकवा 13 ऐयर, कुल किता 03 कुल रकवा 26 ऐयर व खाता संख्या 158 मजकूर का खसरा नम्बर 16, 19, 31, 32, 63, 403, 413, 420, 439, 440, 441, 448, 452, 457, 461, 464, 485, 493, 504, 505, 534, 542, 543, 544, 572, 578, 622, 625, 698, 701, 730, 731, 736, 737, 738, 1054, 1056, 1057, 1066, 1069, 1070, 1073, 1080, 1081, 1085 कुल किता 45 कुल रकवा 6. 23 है0 स्थित ग्राम चिनायटा, तहसील सूरौठ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 161 की आराजीयात खसरा नम्बर 516, 517, 518, 519 कुल किता 04 कुल रकवा 62 ऐयर व आराजी खाता संख्या 263 किता 27 कुल रकवा 14.57 है0 स्थित ग्राम चिनायटा, तहसील सूरौठ है।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजितक्रा मद नम्बर 01 ता 03 अपील में अपीलान्ट के पिता महाराज सिंह सहखातेदार काश्तकार रहे हैं तथा महाराज सिंह की मृत्यु वर्ष 1990 में होने पर उनकी विरासत का नामांतकरण महाराज सिंह के विधिक वारिसान अपीलान्ट व उसके भाई–बहिन बिजेन्द्र, लक्ष्मण व खिल्लो व अपीलान्ट की मां धनजी बेवा महाराज सिंह के नाम खुलकर तस्दीक हुआ, मगर राजस्व कर्मचारियों ने उक्त नामांतकरण को खोलते समय महाराज सिंह के विधिक वारिसान के सही नामों की कोई जानकारी नहीं की और गांव के बोलता नाम से नामांतकरण खोल कर तस्दीक फरमा दिया। उक्त नामांतकरण को खोलते समय राजस्व कर्मचारियों ने अपीलान्ट का नाम रामलाल के स्थान पर गलत रूप से रामा दर्ज कर दिया, जबकि अपीलान्ट का सही नाम रामलाल है, इसलिए उक्त नामांतकरण विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट का सजरा निम्न प्रकार है। जिसमें महाराजसिंह के वारिसान बिजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लो रामलाल धनजी(बेवा फौत) हैं।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट का समस्त सरकारी दस्तावेजात में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में तथा अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात में अपीलान्ट का सही नाम रामलाल पुत्र महाराज सिंह है, मगर राजस्व कर्मचारियों ने उक्त नामांतकरण को खोलकर तस्दीक करते समय अपीलान्ट का नाम विधि विरुद्ध रूप से रामलाल के स्थान पर रामा करते हुए उक्त नामांतकरण तस्दीक किया है, जो खिलाफ कानून होने से जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट के चाचा मलखान व जीतमल भी लाऔलाद फौत हुए हैं और उनकी विरासत के नामांतकरण भी अपीलान्ट व उसके भाइयों के हक में तस्दीक किये गये हैं, उसमें भी अपीलान्ट का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा रामलाल दर्ज किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम रामलाल है तथा महाराज सिंह के रामा नाम का कोई लड़का नहीं था, मगर राजस्व कर्मचारियों ने अपीलाधीन नामांतकरण खोलते समय गलत व विधि विरुद्ध रूप से अपीलान्ट का नाम रामलाल के स्थान पर रामा कर दिया, इसलिए उक्त नामांतकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं06 में दर्ज किया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट का नाम रामलाल के स्थान पर गलत रूप से रामा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दर्ज करते हुए उक्त नामांतकरण तस्दीक फरमा दिया, जिसके आधार पर महाराज सिंह की विरासत में अपीलान्ट का नाम रामा दर्ज होकर उसके नाम खातेदारी दर्ज हो गई, तत्पश्चात अपीलान्ट के चाचा मलखान व जीतमल के फौत होने पर उनकी विरासत का नामांतकरण अपीलान्ट के सही नाम रामलाल व उसके भाईयों के नाम खुलकर तस्दीक हो गया और इस प्रकार एक ही भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अपीलान्ट के दो नाम रामा व रामलाल दर्ज हो गए, जो कि कानूनन नहीं हो सकते, इस सम्बंध में अपीलान्ट के द्वारा अपने नाम की दुरुस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट का उनवानी रामलाल बनाम लैण्ड होल्डर, मु०नं० 41/2024 न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसके निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को नामांतकरण की अपील से सम्बंधित मानकर दिनांक 27.03.2025 को खारिज फरमा दिया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा कानूनी सलाह मशविराह कर उक्त स्थिति की वास्तविक जानकारी कर नामांतकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2025 को करौली रिकॉर्ड रूम पेश किया, जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 23.04.2025 को उक्त नामांतकरा की नकल प्राप्त होने पर सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी हुई, अपीलान्ट कानूनी कायदों में ज्यादा नहीं समझता है, अपीलान्ट केवल साक्षर व्यक्ति है, अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई डिले नहीं किया है, उक्त कारण से डिले हुआ है, जिसे कन्डोन किया जाना कानूनन आवश्यक है, बरफाये हुज्जत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अपील के मद नं011 में दर्ज किया है कि बकिया उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे।

अपील के मद नं012 में दर्ज किया है कि अपील इल्म की तिथि से अन्दर अवधि व नियत शुल्क पर 3 पेश है।

अपील के मद नं013 में दर्ज किया है कि अपील को सुनने व फैसल करने का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 2 तारीखी 06.07.1990 निरस्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाया जावे कि वह उक्त नामांतकरण में अपीलान्ट का नाम रामा के स्थान पर रामलाल दर्ज करते हुए उक्तानुसार नामांतकरण पुनः तस्दकी फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद तामील दिनांक 16.10.2025 को उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 2 दिनांक 06.07.1990 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन, नकल जमाबन्दी सं0 2047 आधार वर्ष, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 727892960362 रामलाल पुत्र महाराजसिंह निवासी धनीराम का पुरा चिनायटा , हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 259 दिनांक 05.08.2003 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन, नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 41/2024 उनवानी रामलाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरौठ बाबत् प्रार्थना पत्र इन्द्राज राजस्व रिकार्ड निर्णय दिनांक 21.03.2025 पेश किये हैं।

वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल नामान्तकरण सं02 दिनांक 06.07.1990 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के अनुसार ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के खाता संख्या 160, 158, 159, 161, 263 में खातेदार महाराजसिंह पुत्र मोहरसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान विजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लो रामा पि0 महाराजसिंह धनजी बेबा महाराजसिंह के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2047 आधार वर्ष खाता संख्या नया 160, पुराना 159 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 565, 566, 569, 570 कुल किता 4 कुल रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी महाराजसिंह मलखान जीतमल पि0 मोहरसिंह नबाबसिंह पि0 रामसिंह भूरीसिंह पुत्र अमरसिंह हि0 आठ आना, सम्पत रघुपत पि0 गैंदा पिन्टू घन्टौली जगदीश रमन इमरत पि0 रघुवीर हि0 आठ आना जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकि नोट नामान्तकरण सं0 02 फेंसल दिनांक 06.07.1990 के अनुसार महाराजसिंह मृतक के बजाय विजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लो रामा पि0 महाराजसिंह व धनजी बेबा महाराजसिंह के नाम बहक खातेदारी स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2047 आधार वर्ष खाता संख्या नया 158, पुराना 157 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 597, 598, 773 कुल किता 3 कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी महाराजसिंह मलखान जीतमल पि0 मोहरसिंह हि0 1/3, विजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लन रामलाल पि0 महाराजसिंह हि0 2/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकि नोट नामान्तकरण सं0 02 फेंसल दिनाक 06.07.1990 के अनुसार महाराजसिंह मृतक के बजाय विजेन्द्र लक्ष्मण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खिल्लो रामा पि0 महाराजसिंह व धनजी बेबा महाराजसिंह के नाम बहक खातेदारी स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2047 आधार वर्ष खाता संख्या नया 159, पुराना 158 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 16,19,31,32,63,403,413,420,439,440,441,448,452,457, 461,464,485,493,504,505,534,542,543,544,572,578,622,625,698,701,730,731,736,737, 738,1054,1056,1057,1066,1069,1070,1073,1080,1081,1085 कुल किता 45 कुल रकबा 6.23 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी महाराजसिंह मलखान जीतमल पि0 मोहरसिंह हि0 1/3, नबाबसिंह पि0 रामसिंह हि01/3, भूरीसिंह रामखिलाडी पि0 अतरसिंह हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकि नोट नामान्तकरण सं0 02 फेंसल दिनाक 06.07.1990 के अनुसार महाराजसिंह मृतक के बजाय विजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लो रामा पि0 महाराजसिंह व धनजी बेबा महाराजसिंह के नाम बहक खातेदारी स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2047 आधार वर्ष खाता संख्या नया 161, पुराना 160 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 516,517,518,519 कुल किता 4 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी महाराजसिंह मलखान जीतमल पि0 मोहरसिंह नबाबसिंह पुत्र रामसिंह भूरीसिंह पुत्र अतरसिंह हि0 3/4 सुमेरसिंह रतनसिंह विशम्भर पि0 स्वरूप हि0ब0 किरोडी पि0 आराम व किशोर पुत्र नारायण हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकि नोट नामान्तकरण सं0 02 फेंसल दिनाक 06.07.1990 के अनुसार महाराजसिंह मृतक के बजाय विजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लो रामा पि0 महाराजसिंह व धनजी बेबा महाराजसिंह के नाम बहक खातेदारी स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 727892960362 रामलाल पुत्र महाराजसिंह निवासी धनीराम का पुरा चिनायटा हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 259 दिनांक 05.08.2003 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के अनुसार खाता संख्या 136, 137, 138, 143, 140 वाके ग्राम चिनायटा के खातेदार जीतमल पुत्र मोहरसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण विजेन्द्रसिंह लक्ष्मण, खिल्लो रामलाल पि0 महाराजसिंह हि0 1/6 के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 151 दिनांक 26.01.2001 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के अनुसार खाता संख्या 136, 137, 138, 142, 143, वाके ग्राम चिनायटा के खातेदार मलखान पुत्र मोहरसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जीतमल पुत्र मोहरसिंह हि0 1/18, विजेन्द्रसिंह लक्ष्मण, खिल्लो रामलाल पि0 महाराजसिंह हि0 1/18 के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 41/2024 उनवानी रामलाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरौठ बाबत् प्रार्थना पत्र इन्द्राज राजस्व रिकार्ड निर्णय दिनांक 21.03.2025 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट खारिज किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतक महाराजसिंह पुत्र मोहरसिंह के चार पुत्र विजेन्द्रसिंह लक्ष्मण, खिल्लो रामलाल हैं। जबकि नामान्तकरण सं0 02 में महाराजसिंह के पुत्र रामलाल के स्थान पर रामा दर्ज हो गया है। इस प्रकार पटवारी हल्का ने बिना जॉच पडताल के उक्त विवादित नामान्तकरण सं02 दिनांक 06.07.1990 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के अनुसार ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के खाता संख्या 160, 158, 159, 161, 263 में खातेदार महाराजसिंह पुत्र मोहरसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान विजेन्द्र लक्ष्मण खिल्लो रामा पि0 महाराजसिंह धनजी बेबा महाराजसिंह के नाम भरकर तस्दीक किया गया है वह गलत है। जिसे निरस्त करते हुए महाराजसिंह की विरासत की पूर्ण जॉच कर सही नाम से पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं02 दिनांक 06.07.1990 ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि खाता संख्या 160, 158, 159, 161, 263 के खातेदार मृतक महाराजसिंह पुत्र मोहरसिंह के वारिसान की पूर्ण रूपेण जॉच कर नियमानुसार पुनः विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 29/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)